न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 16 / 2025(GCMS 2025/98)
(RTI No. : 21290705553201 1)

श्री सुधीर कुमार ताखर निवासी 14 एस.पी.एम. (गोधूवाली ढाणी), तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.05.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सुधीर कुमार स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, प्रशासन से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 29.12.2024 से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री सुधीर कुमार ताखर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 29.12.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. Total Number of arms licenses issued in Ganganagar district from The year 1955 to 1965
2. List of arms licenses issued to an individual during this period, including the name of the licensee, license number, type of firearm and date of issuance.
3. Is there any arms license issued in the name of PATRAM s/o GANPATRAM. If issued the provide license number, type of firearm and date of issuance.

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 710 दिनांक 30.12.2024 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को भिजवाया गया है। प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ17(1)( )न्याय(आरटीआई)/2025/1804 दिनांक 07.05.2025 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा अग्रेषित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना के क्रम में आवेदन निम्नलिखत बिन्दुओं पर चाही गई सूचना सम्बन्धित प्रत्युत्तर प्रेषित है।

क्र. सं.	आवदेन के बिन्दु	प्रत्युत्तर
1	वर्ष 1955 से 1965 तक गंगानगर जिले में जारी शस्त्र लाईसेंसों की कुल संख्या	अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना सन् 1955 से 1965 तक (लगभग 60–70 वर्ष) पूर्व की शस्त्र लाईसेंसो से सम्बन्धित है। (सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 2(सूचना के अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं) के बिन्दु संख्या 8(3) के अनुसार "किसी ऐसी घटना, वृत्तांत या विषय से संबंधित कोई सूचना, जो उस तारीख से, जिसको धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है, बीस वर्ष पूर्व घटित हुई थी या हुआ था, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध करवाई जाएगी" अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत चाही गई सूचना लगभग 60–70 वर्ष पूर्व की है, जो कि 20 वर्ष से अधिक अवधि से पूर्व की है, जिसे उपलब्ध करवाने में कार्यालय के महत्वपूर्ण संसाधन एवं समय लगने की संभावना के दृष्टिगत सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याय 2 के बिन्दु संख्या 8(3) के अनुसार आपको उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं था, फिर भी उक्त से सम्बन्धित सूचना से संबंधित अभिलेख को ढूंढने के भरसक प्रयास किये गये, किन्तु सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना आदिनांक तक नहीं मिली है, जिसके अभाव में आवेदन को वांछित सूचना उपलब्ध करवाये जाना संभव नहीं है, तथा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत वह सूचना देय नहीं है जो सू[illegible]/प्रश्नात्मक हो फिर भी कार्यालय मे उपस्थित[illegible]कर [illegible]लेख का अवलोकन कर सकते है। [illegible] सूचना [illegible] तो नियमानुसार 02 रूपये प्रति पृष्ठ जमा करवाकर प्राप्त कर सकते है।
2	उक्त अवधि के दौरान किसी व्यक्ति को जारी किए गए शस्त्र लाईसेंसों की सूची, जिसमें लाईसेंसी का नाम	
3	क्या पतराम पुत्र गणपतराम के नाम कोई शस्त्र लाईसेंस जारी किया गया है? यदि जारी किया गा है तो उसका लाईसेंस संख्या, शस्त्र का प्रकार और जारी करने की तिथि उपलब्ध करवायें।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2002** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **तहसीलदार (राजस्व)**, रायसिंहनगर द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फिर भी सूचना का अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत करें तो उसके द्वारा वांछित सूचना से सम्बन्धित कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करवा देवें और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानुसार देय सूचना, उसे नियमानुसार उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति नियमानुसार भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.05.23 15:54:50 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर